



2026:AHC:24762-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2342/2026

मंगरू राजभर

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राहुल यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रारंभ में ही, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह इंगित किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, किंतु कथन किया कि वे इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

4 फरवरी, 2026

आर.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"